सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-198/2022 दिनांक- 23-जुन-2022

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 69 लोकसभा उपचुनाव 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु किया गया अतिसंवेदनशील व संवेदनशील मतदान केन्द्रों का भ्रमण व चेकिंग।</u>

आज दिनांक- 23.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा 69 लोकसभा उपचुनाव 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अतिसंवेदनशील व संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु भ्रमण किया गया। मतदान प्रारंभ होते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बूथों के चक्रमण हेतु करने निकल पड़े। सबसे पहले सर्फुद्दीनपुर बूथ, बेलइसा, शिब्ली कालेज, जीयनपुर सम्पूर्ण, बिलरियागंज, रौनापार, सगड़ी सम्पूर्ण क्षेत्र, मुबारकपुर व अन्य स्थानो पर भ्रमण व चेकिंग की गयी। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से निर्भिक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक ने उपचुनाव के दौरान सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जनपद के प्रत्येक बूथों पर पुलिस बल मौजुद है, जो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की जा रही है। सभी सेन्टरों पर पैरामिलिट्री को बाँटा गया है। 68 कम्पनियां हमारे पास है। इसके अलावा लाँ एण्ड आर्डर ड्यूटी में QRT हर थाने पर 02-02 ताथा 6, 7 कलस्टर मोबाइल हर थानों पर लगायी गयी है। जिसमें स्थानीय पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। पिकेट ड्यूटी लगायी गयी है जिससे संवेदनशील क्षेत्र है सभी अधिकारियों के साथ QRT मोबाइल भेजी गयी है तथा पुलिस लाइन में स्पेशल QRT बनायी गयी है जिनकों विपरित परिस्थियों में निपटने के लिए बनाया गया। 22 हजार की नफरी कुल सुरक्षा में लगे हुए है। संवेदनशीलता को देखते हुए कटेराइजेशन किया गया है, 7 या 8, बूथों पर एक क्लस्टर मोबाइल बनता है, जो लगातार भ्रमणशील रहती है। कही अनावश्यक भीड़-भाड़ ना हो, जो मतदाता वोट देने आ रहे है वो अपना वोट आसानी से वोट डालकर जाए और कोई भी उनकों प्रभावित न कर पायें। जितने भी ट्रबल मेकर है, हिस्ट्रीशीटर, जिलाबदर, गैंगेस्टर आदि जो शान्ति भंग कर सकते है, उनकों अलग-अलग विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पाबंद किया गया है। उनके ऊपर कार्यवाही की गयी है। जनता को आश्वस्त कराना है कि पूरे शान्तिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न करायी जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर अपने पिता व भाई को गोली मारकर हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद।

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 21.06.2022 को वादिनी मुकदमा श्रीमती कामिनी सिंह पत्नी स्व0 मनीष सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि मनोज सिंह पुत्र स्व0 श्री नरायण सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने पिता श्री नारायण सिंह में प्रापर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गयी इस बीच वादिनी के पति मनीष सिंह व ससुर श्री नरायण सिंह की गोली मार कर हत्या कर दिया गया है व चाची अवधराजी देवी को गोली मार कर घायल कर देना व गाली गुप्ता दिया गया, के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/302/307/504 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया है।

दिनांक- 23.06.2022 को थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराह द्वारा लोक सभा उप चुनाव ड्यूटी में कस्बा कप्तानगंज में मौजूद थे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को पासीपुर पुलियाँ के पास से समय करीब 06.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मनोज सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह निवासी ग्राम धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त के कब्जे से लाइसेन्सी पिस्टल एक अदद .32 बोर व 16 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, DBBL गन एक अदद .12 बोर व 6 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह मेरी लाइसेन्सी पिस्टल है जिसका लाईसेन्स मैने बारामुल्ला से बनवाया है। दिनांक 21.06.2022 को दिन में खेत में मेरे पिता श्रीनरायण सिंह द्वारा पानी पाईप से चलाया जा रहा था। मैने उनसे मना किया कि जब खेत का बंटवारा हो जायेगा। तब पानी चलेगा इतना कहकर मैने पाईप को काट दिया थोड़ी देर मेरे व मेरे पिता जी के बीच विवाद हुआ फिर मै घर आकर बैठ गया। करीब दो से तीन घण्टे बाद मेरे पिता जी के बुलाने पर मेरा भाई मनीष सिंह आया हमसे व मेरे भाई मनीष में जमीन के बटवारे को लेकर विवाद होने लगा। मेरे पिता जी व भाई मनीष सिंह ने कहा कि तुम्हे बंटवारे में कोई जमीन नही मिलेगी। जाओ जो करना है कर लो। उसके बाद मैने कहा कि मेरा हिस्सा क्यो नही देगें इस बात पर मेरे पिता जी व मेरा भाई मेरे तरफ आने लगा और गाली गुप्ता देने लगे तभी मै गुस्से में आकर अपने लाईसेन्सी पिस्टल से दोनो लोग को बारी बारी से गोली मार दी। तब तक मेरी चाची अवधराजी आ गयी तो उसे भी मैने व मेरे लड़के यशवन्त ने लाठी डण्डे से मारा पीटा। साहब मैने अपने पिता व भाई को जिस लाइसेन्सी पिस्टल से मारा था उस पिस्टल व कारतूस को मैने आपको दे दिया हूँ। अपने लाईसेन्सी पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गयी है जो उसके लाईसेन्स के शर्तो का उलघन है जिसके कारण धारा 30 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने के कारण धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 147/148/302/307/504/34 IPC व 30 A Act में कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया, अब मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा147/148/302/307/504/34 भा0द0वि0 व 30 आर्म्स एक्ट में की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/302/307/504/34 IPC व 30 A Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनोज सिंह पुत्र स्व0 श्री नरायण सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

लाइसेन्सी पिस्टल एक अदद .32 बोर व 16 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर,

DBBL गन एक अदद .12 बोर व 6 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. SO संजय कुमार का0 विनय पाल का0 प्रमोद कुमार का0 अजय कुमार म0का0 दुर्गेश कुमारी थाना कप्तानगंज आजमगढ़